उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-514/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.214-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(272)-2023

लखनऊः दिनांकः 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो नियत तारीख तक **प्ररूपजीएसटीआर-10** में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते है, किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम का 500 रुपये से आधिक्य में एतद्द्वारा अधित्यजन करती है।

2. यह अधिसूचना तारीख 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव